उत्तरांचल शासन

वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा
उत्तरांचल शासन
देहरादून

पत्र सख्या : 448 /व.ग्रा.वि./2004 दिनांक 27 मार्च, 2004

कार्यालय ज्ञाप

विषय : प्रदेश में हर्बल गार्डन की स्थापना और विकास

शासन, जड़ी बूटी के विकास एवं संवर्द्धन के प्रति समर्पित है. जड़ी बूटी शोध संस्थान, वन विभाग, भेषज संघ तथा अन्य सहकारी, अर्द्ध सहकारी और असहकारी संस्थानों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान जड़ी बूटी के विकास में दिया गया है. इस विकास कार्यक्रम को अधिक दृष्यता देने एवं संवर्द्धन के कार्य को गति प्रदान करने के लिए प्रदेश में हर्बल गार्डन की स्थापना की जा रही है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह हर्बल गार्डन निश्चित रूपरेखा के तहत स्पष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाए, निम्न मार्ग–निर्देश जारी किए जा रहे हैं :

हर्बल गार्डन की स्थापना के उद्देश्य :

हर्बल गार्डन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थापित किया जाएगा :

1.1 अमुक ऊंचाई पर उगने वाली प्राकृतिक एवं विदेशी जड़ी बूटी व सगन्ध पौधों की भौतिक रूप से सामान्य जानकारी जन साधारण को उपलब्ध कराना.

1.2 ऐसी मूल्यवान जड़ी बूटी व सगन्ध पादपों की उच्च गुणवत्ता की पौध व बीज उत्पादित करना जो कालान्तर में विलुप्ति के कगार पर हैं अथवा जिनका प्रदेश के भविष्य के विकास में औद्योगिक महत्व हो.

1.3 जड़ी बूटी व सगन्ध उत्पादों की कृषिकरण तकनीक, वैल्यू एडीशन की प्राथमिक तकनीक तथा जैविक कृषि के सिद्धान्तों को विकसित कर स्थानीय जन समुदाय के सम्मुख प्रदर्शन करना.

1.4 विपणन हेतु ऐसे केन्द्र, जो भविष्य में जड़ी बूटी व सगन्ध पादपों के क्रय–विक्रय हेतु स्थानीय सुविधा के रूप में विकसित हो सके, स्थापित करना

1.5 उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य में अन्य गतिविधियों जैसे जल एवं भूमि संरक्षण, जैविक खाद उत्पादन, बर्मिकल्चर उत्पादन, प्राथमिक पैकेजिंग आदि, का सजीव पथ–प्रदर्शन उपलब्ध कराना

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक हर्बल गार्डन के लिए निम्न मानक निर्धारित किए जाते हैं :

लोकेशन : प्रत्येक हर्बल गार्डन स्ट्रैटेजिक स्थान पर बनाया जाए, जो यथा सम्भव जनपद एवं ब्लाक मुख्यालय के निकट ऐसे स्थल पर अवस्थित हो जहां से जन साधारण की आवाजाही बनी रहती है.

आकार : ऐसे स्थान का चयन किया जाए जहां भविष्य के विस्तार हेतु लगभग 20 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध हो, भले ही वर्तमान में 2 हैक्टेयर पर ही कार्य आरम्भ किया जाए.

प्रजातियों का चयन : हर्बल गार्डन में लगाई जाने वाली प्रजातियों के चयन के दो आधार होंगे.

1. प्रकृति में अमुक प्रजाति विलुप्ति के कगार पर हो अथवा जिनका उत्पादन गम्भीर रूप से कम हो गया हो.
2. ऐसी प्रजातियां जिनकी स्पष्ट रूप से औद्योगिक मांग हो और जिनके रोपण से स्थानीय किसानों को पारम्परिक कृषि की तुलना में अधिक लाभ सम्भव हो.

अभिलेखीकरण : प्रत्येक हर्बल गार्डन में उगाई गई प्रजातियों के नाम, उपयोग, कृषि, तकनीक, बाजार मांग, रोपण सामग्री की उपलब्धता आदि की विस्तृत सूचना प्रदर्शित रहेगी. कृषकों को वितरण हेतु उक्त बिन्दुओं पर विस्तृत सूचनायें उपलब्ध रखी जाएगी. चयनित 5 प्रजातियों की कृषि तकनीक को लेकर बाजार मांग और आर्थिकी की सूचना विस्तार से अलग-अलग पुस्तकों के रूप में उपलब्ध रखी जाएगी. हर्बल गार्डन में उक्त चयनित 5 प्रजातियों का जर्मप्लाज्म तैयार किया जाएगा. प्रत्येक स्थल में जो भी पौध रोपण किया गया है, औद्यानिक सूचना में इन पौधों की सूचना भी संरक्षित रखी जाएगी. अभिलेखीकरण के क्रम में ही हर्बल गार्डन में हरबेरियम की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे उक्त 5 प्रजातियों के अतिरिक्त उस क्षेत्र में उगने वाली औषधि एवं सगन्ध पौधों की सूचना वैज्ञानिक तौर पर संरक्षित रखी जाए. किन्हीं दो हर्बल गार्डन में ओवर लैपिंग न हो. अतः यह भी आवश्यक है कि उक्त हर्बल गार्डन उसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली पौध पर केन्द्रित रहे और सामान्य रूप से पूरे प्रदेश के पौध संरक्षण प्रदर्शन की व्यवस्था न करे. निदेशक, जड़ी बूटी शोध संस्थान, गोपेश्वर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक हर्बल गार्डन के लिए फोकस क्राप्स निर्धारित कर ली जाए.

क्षेत्रीय पौधशाला विकास : प्रत्येक हर्बल गार्डन के साथ आस-पास के क्षेत्र में न्यूनतम एक लाख पौध उगाने की क्षमता रखने वाली पांच पौधशालाओं को विकसित किया जाएगा. प्रत्येक हर्बल गार्डन को आई.एन.आई. (Investing in

Nature - India) के तहत एन.बी.आर.आई., (National Botanical Research Institute), लखनऊ में पंजीकृत करना होगा, जिससे कि वह एच.एस.बी.सी. (हाँगकाँग शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन) की सदस्यता का पात्र हो सके.

राज्य में कौन कौन से स्थान पर (आरक्षित/संरक्षित/ वन पंचायत/ अन्य भूमि) ये हर्बल गार्डन स्थापित किए जायेंगे. शासन को इसके संबंध में निर्णय लेकर आगामी 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु एक कमेटी गठित की जा रही है, जिसके सदस्य निम्न प्रकार होंगे :

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल.
2. निदेशक, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान (संयोजक)
3. प्रमुख भेषज विशेषज्ञ, सहकारिता विभाग.
4. डा. ए.एन. पुरोहित, चेयर एम.एल.भरतिया, जड़ी बूटी सगन्ध पादप केन्द्र, सेलाकुई.

यह कमेटी हर्बल गार्डन के लिए स्थान का चयन एवं प्रत्येक गार्डन की रूपरेखा तैयार कर शासन के समक्ष प्रस्तुत करेगी. इसके साथ-साथ आगामी 5 वर्षों में इन हर्बल गार्डन पर होने वाले व्यय (वर्ष वार) के संबंध में सुझाव देगी.

समस्त हर्बल गार्डन जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान को प्रदत्त बजट से वित्त पोषित होंगे. निदेशक, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर द्वारा प्रत्येक माह इनकी प्रगति के संबंध में शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी.

विमा पुरी
(विमा पुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एव ग्राम्य विकास
उत्तरांचल शासन

प्रतिलिपि :

1. सचिव, वन, उत्तरांचल शासन
2. अपर सचिव, सहकारिता, उत्तरांचल शासन
3. अपर सचिव, उद्यान एवं वन, उत्तरांचल शासन
4. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल.
5. निदेशक, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान
6. प्रमुख भेषज विशेषज्ञ, सहकारिता विभाग.
4. डा. ए.एन. पुरोहित, चेयर एम.एल.भरतिया, जड़ी बूटी सगन्ध पादप केन्द्र, सेलाकुई.

विमा पुरी
(विमा पुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास
उत्तरांचल शासन

अनु सचिव / ओ०एस०डी०

अपर सचिव
उद्यान वन एवं पर्यावरण
उत्तरांचल शासन